राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर
जी–3, राज महल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, जयपुर

क्रमांकः प.6(ल)(390)डी/लेखा/DLB/विविध/1757–1969 दिनांक 21/06/2022

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय– राज्य सरकार द्वारा दि. 01/01/2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियो पर पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने पर कार्मिको के वेतन से अनिवार्य कटौती किए जाने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग (नियम अनुभाग) राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.12 (3) वित्त–नियम/2022 दि. 24/03/2022 के द्वारा राजकीय उपक्रमो/स्वयशाषी निकायो में दि. 01/01/2004 व उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिको के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत 01/01/2004 एवम् उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिको के वेतन से नवीन अंशदायी पेंशन (एनपीएस) की कटौती समाप्त करने के आदेश प्रसारित किए गये एवम् वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.2 (2)/वित्त (नियम)/2021 पार्ट दि. 25/05/22 के द्वारा दि. 01/01/2004 एवम् उसके पश्चात् नियुक्त राज्य कर्मचारियो के वेतन से जीपीएफ की कटौती किए जाने के आदेश जारी किए गये है।

नगरीय निकायो में दि. 01/01/2004 से पूर्व नियुक्त कार्मिको पर राजस्थान नगर पालिका सेवा (पेशन) नियम 1989 प्रभावशील है। विभागीय आदेश क्रमांक प.6 (ज) (28) लेखा/पीएफ/डीएलबी/10/ 14073–14269 दि. 15/11/2010 के द्वारा कर्मचारियो के वेतन बिलो में मूल वेतन + मंहगाई भत्ता का 12 प्रतिशत राशि सम्बंधित निकाय की ओर से अंशदान पेंशन फण्ड में जमा कराने का प्रावधान है। इसी प्रकार वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक F.7 (9)/FD/R&AI/89 दि. 13/04/1989 के द्वारा निकाय कर्मियो पर जीपीएफ रूल्स यथावत लागू किए गये है एवम् कार्मिको के वेतन से प्रतिमाह मूल वेतन का 8.33 प्रतिशत की कटौती का प्रावधान किया गया है।

अतः समस्त नगरीय निकायो में दि. 01/01/2004 एवम् उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिको के वेतन से उक्तानुसार नियमित कटौती सुनिश्चित की जावें।

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव